साउथ दिल्ली में करण सिंह गिरोह कर रहा मीटर टेंपरिंग के नाम पर ठगी

- गिरोह का मुख्य मोबाइल नंबर है– 8750462392
- फर्जी आईकार्ड, लेटरहेड व स्टेशनरी दिखाकर उपभोक्ताओं से ठग रहे रूपये

नई दिल्लीः 5 अक्टूबर, 2012। साउथ दिल्ली में करण सिंह गिरोह बीआरपीएल के नाम पर ठगी कर रहा है। इस गिरोह के सदस्य न सिर्फ उपभोक्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं, बल्कि उनसे हजारों रूपये ऐंठने में कामयाब भी हो रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये ठग रोज नई तकनीक व स्टाइल के साथ आगे आ रहे हैं, जिस वजह से उपभोक्ताओं को उन पर शक भी नहीं हो रहा। पहले ये जालसाज बीआरपीएल के फर्जी आईकार्ड, लेटरहेड व स्टेशनरी दिखाकर उपभोक्ताओं को असली बीआरपीएल कर्मी होने का भरोसा दिलाते हैं, और उसके बाद मीटर टेंपरिंग के नाम पर उनसे हजारों रूपये ठग लेते हैं।

गिरोह का मोडस ऑपरेंडी ये हैः

बीआरपीएल को साउथ दिल्ली के पॉश आरके पुरम इलाके से हाल ही में 7 शिकायतें मिली हैं। एक शिकायत करण सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में है, जो खुद को बीआरपीएल एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का अधिकारी बनाकर उपभोक्ताओं से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रह रहा है। करण सिंह, कई लोगों की टीम वाले एक बड़े गिरोह का सरगना है।

उपभोक्ताओं के घर जाकर करण सिंह के साथी सबसे पहले एक नोटिस चिपकाते हैं, जिसमें लिखा होता है– आपने अपने मीटर से छेड़छाड़ की है। अपने मामले को सुलझाने के लिए 2 दिनों के भीतर आप बीआरपीएल एन्फोर्समेंट ऑफिस से संपर्क करें। आगे उसका अपना निजी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा होता था। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर दिया जाता है– 8750462392

उपभोक्ता जब उसके बताए जगह पर पहुंचता था, तो करण सिंह गिरोह के सदस्य उसे बताते थे कि यदि वह मामले को यहीं रफा–दफा करवा लेगा, तो उसे जुर्माने में भारी छूट दी जाएगी। नहीं तो, मामला कोर्ट में जाएगा और उस पर भारी जुर्माना होगा और साथ ही, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

बीआरपीएल दिनरात ठगों के इस गिरोह के लोगों और उसके सरगना करण सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही, इसमें उन उपभोक्ताओं से सहयोग भी मांगा है, जिन्हें इस तरह का कोई फर्जी नोटिस मिला है। बीआपीएल ठगी के मामलों को काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि बीआरपीएल ने पिछले डेढ़ साल के दौरान 36 ठगों को पकड़ा है।

बीआरपीएल की सलाहः

बीआरपीएल लगातार अपने उपभोक्ताओं से यह अपील करती रही है कि वे फर्जी लोगों व ठगों से सावधान रहें। कंपनी एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करती है वे ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, जो गुपचुप तरीके से काम कर बीआरपीएल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे ऐसे तत्वों की धमकियों या झूठे आश्वासनों में न आएं, और कारण चाहे जो भी हो, उन्हें पैसे हरगिज न दें। बिजली चोरी, जुर्माना, व्यावसायिक आदि कोई भी भुगतान सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही करें।

अगर किसी उपभोक्ता को यह लगता है कि उसका मीटर टेंपर्ड है, तो वह सीधे बीआरपीएल ऑफिस में संपर्क करें, और डीईआरसी सप्लाई कोड, 2007 के तहत वोलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में अपने मामले का कानून–सम्मत समाधान करवाए।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि उनके पास जो भी व्यक्ति बीएसईएस कर्मचारी के तौर पर जा रहा है, उनकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। उनका पहचान पत्र मांगें और निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करें :

सही पहचान पत्र में ये चीजें होनी चाहिएः 1. बीएसईएस लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. जारी होने की तारीख, 4. वैधता (वैलिडिटी), 5. कर्मचारी की तस्वीर, 6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, 7. कर्मचारी के हस्ताक्षर, 8. कर्मचारी संख्या/ पहचान पत्र संख्या, 9. ठेकेदार का नाम/ लोगो/ पता, 10. लेमिनेशन।

बीआरपीएल अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करती है कि अगर उन्हें कोई शक हो, या कुछ गड़बड़ लगे, तो तुरंत निकटतम बीआरपीएल ऑफिस में संपर्क करें, या डायल करें– 39999707। साथ ही, 100 नंबर डायल कर पुलिस को भी सूचित करें।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

.....